

प्रेस नोट

दिनांक 30.12.2025

## एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से (चोरी का माल बेचकर) 3200 रुपये नगदी तथा 01 जोड़ी पायल बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराधअपराधियों के विरुद्ध/ चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 30.12.2025 देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जारिये मुखबिर की सूचना पर हय्यासपुर पुल पुलिस के पास के पास मु 0सं0अ0 2025/479धारा (4)305,331, (2)317BNS थाना मु बाद अभियुक्त सोफियान हासमी पुत्र नूर मुहम्मद हासमी ग्राम करहां बीच महाल थाना मु बाद गोहना जनपद मऊ के कब्जे से एक काली पालीथीन में एक जोड़ी पायल व दो सौ रुपये की कुल बरामद 0रु 3200 अदद नोट कुल मुल्य 16 कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- सोफिहान हासमी पुत्र नूर मोहम्मद हासमी निवासी करहां बीच महाल थाना मु बाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

### पंजीकृत अभियोंग-

- मु 0अ0सं0 479/2025 धारा 305,331(4),317(2) BNS थाना मु.बाद

### बरामदगी

- एक जोड़ी पायल
- कुल 16 अदद नोट कुल मुल्य 3200 रु 0 बरामद

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

- उ0नि0 लक्ष्मी प्रकाश उपाध्याय
- हे0का0 मनोज शर्मा

3. का० अमर प्रताप सिंह
4. का० अनिल पटेल

### **एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से छिनैती की मोबाइल बरामद-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराधअपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान / के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल प्रवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 30.12.2025 देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर एकडंगा जाने वाले लिंक मार्ग नहर के किनारे पक्की सड़क पर करीब किनारे मीटर पहले सड़क के 50 से मु 2025/218 .सं.अ.धारा (2)115,352, (2)351,125 , (6)309 BNS से संबंधित अभियुक्त शैलेन्द्र राजभर पुत्र रामदरश राजभर साकिन एकडंगा थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक की शाम को 28.12.2025 अभियुक्त तथा उसके दोस्त ने मिल कर एकडंगा चट्टी पर एक टेलर के ड्राईबर को मार पीट कर iQOO Z 10 Lite 5G ब्लैक कलर की मोबाइल व रूपया छीन लिये थे । छीने गये रूपये के विषय में पूछने पर बता रहा है छीना गया सभी रूपया मेरे दूसरे साथी के पास है अभी हम लोग आपस में बाट नहीं पाये थे। अन्य अभियुक्त की तलाश जारी है।

### **बरामदगी-**

1. एक अदद मोबाइल iQOO Z10 Lite 5G ब्लैक कलर

### **गिरफ्तार अभियुक्त**

1. शैलेन्द्र राजभर पुत्र रामदरश राजभर साकिन एकडंगा थाना रानीपुर जनपद मऊ उप्र करीब वर्ष 31

### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु अ.सं. 218/2025.धारा (2)115,352 , (2)351,125 , ,(6)309 317(2) बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त.....**

1. मु अ.सं. 100/2020.धारा 272, 273 भादवि व आबकारी अधियो थाना मु.बाद गोहना 60 जनपद मऊ

2. मु अ.सं. 1/2025.धारा 115(2), 351(2), 352 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ

3. मु धारा 176/2023 .अ.सं.120-B, 302, 34 भादवि व 25, 27, 7 आयुध अधिकारी थाना सरायलखंशी जनपद मऊ
4. मुआयुध अधिकारी 3/25 धारा 176/2023 .अ.सं. थाना सरायलखंशी जनपद मऊ
5. मु अ.सं. 218/2025.धारा (2)115,352 , (2)351,125 , ,(6)309 317(2) बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ

**पुलिस टीमः -**

1. थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार थाना रानीपुर
2. उमेश धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला
3. हे, कांठ उमेश यादव
4. का, पंकज यादव
5. कांयोगेन्द्र बहादुर सिंह
6. कांठ सुयश चौधरी

“ गैंगलीडर द्वारा अपने परिवारजनों के नाम विभिन्न बैंक खातों में जमा कराये गये कुल रु 8390520.00 (तिरासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ बीस रुपये) गैंगेस्टर एक्ट धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्त ”

#### **गैंगेस्टर एक्ट के तहत अपराध की कमाई पर बड़ा प्रहार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री इलामारन जी द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में अभियुक्तों द्वारा अर्जित अवैध चलअचल संपत्ति की पहचान कर विधिसम्मत जब्तीकरण हेतु एक - विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के निर्देशन एवम् क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष्ण राजपूत के पर्यवेक्षण में किया गया था।

उक्त अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर के द्वारा सतत सुरागरसी एवं पतारसी की गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मु 0803/25/424 धारा 25/424 उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम (निवारण), थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त गैंग लीडर होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली नगर द्वारा अपराध से अर्जित धनराशि को अपने परिजनों के नाम विभिन्न बैंकों में जमा कराया गया है। अभियुक्त द्वारा अपनी बहन समीरा परवीन पुत्री नसीम अहमद के नाम इंडसइंड बैंक, कोपांगंज में एफ०डी० संख्या 15 में 301031143814,81,900.00,

एफ०डी० संख्या 15₹ में 301031145547,82, में 159569673354 ता संख्यातथा खा 365.00 1₹,26,जमा कराए गए 255.00; इसी प्रकार दूसरी बहन सईदा नसीम पुत्री नसीम अहमद के नाम बंधन बैंक, सदर चौक में एफ०डी० संख्या 3₹ में 82000078659717,00,000.00, एफ०डी० संख्या 9₹ में 82000079642981,00, में 82000078831109 संख्या ०डी०एवं एफ 000.00 5₹,00,जमा कराए गए 000.00; वहीं तीसरी बहन निशात अफरोज पुत्री नसीम अहमद के नाम बंधन बैंक, सदर चौक में एफ०डी० संख्या 8₹ में 82000077458426,00, ०डी०तथा एफ 000.00संख्या 5₹ में 82000077605570,00,नसीम जमा कराए गए तथा अपनी माता कौशर जहाँ पत्नी 000.00 अहमद के नाम बंधन बैंक, सदर चौक में एफ०डी० संख्या में 82000065350813 21₹,00,83₹ जमा कराया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कुल 000.00,90,) 520.00तिरासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ बीस रुपयेअपराध से अर्जित कर अपने परिजनों के विभिन्न खातों में जमा ( (1)14 का तथ्य प्रकाश में आया। उक्त धनराशि को धारा कराए जानेत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत जब्त किए जाने हेतु रिपोर्ट श्री प्रवीण मिश्र (निवारण), जिलाधिकारी महोदय, जनपद मऊ को प्रेषित की गई, जिस पर सम्यक विचारोपरांत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक के माध्यम से उपरोक्त 29.12.2025 83₹ संपूर्ण धनराशि,90,को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किए जाने का आदेश पारित किया 520.00 गया।